न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 12/013 तारीख रजू 24.06.2013

सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली :— प्रार्थी

बनाम

1 नथोली पुत्र लटूर
2 गिल्या पुत्र लटूर
3 लोहडे पुत्र विशन्या (फोत)
3/1 सुन्दरी वेवा लोहडे
3/2 बृजवासी पुत्र लोहडे
3/3 रामनिरी पुत्री लोहडे
3/4 मोहरवाई पुत्री लोहडे
3/5 दुलारी पुत्री लोहडे
4 श्रीलाल पुत्र नत्थू (फोत)
4/1 रेखू पुत्र श्रीलाल
5 खिलाडी } पिसरान
6 जगमोहन } जोहरी
7टीकाराम

समस्त जाति चमारान निवासीयान नागल शेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

8 हरिसिंह पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी नागलशेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 14.8.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 380, 381, 382,383, 473/710,509, 510, 510/747, 511, 512, 513/743 ,513/744, 515 ,515/748, कुल किता 14 कुल रकवा 2.42,है0 ग्राम

42,है0 ग्राम खिलचीपुर बाडा तहसील टोडाभीम को वापिस माफी मंदिर श्री सीतारामजी के नामे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीयान का तामिल विधिवत होने पर अप्रार्थी संख्या 1,2,5,6,7,8, की ओर से जरिये बकालान्तन उपस्थित आये शेष अप्रार्थीयान अनुपस्थित रहने पर उपने खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिऐ प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी सम्बत 2019 खतोनी बन्दोबस्त 2000 से 2019 मिलान क्षेत्रफन जमाबंदी सम्बत 2069 से 72 पेश की है।

वकील अप्रार्थीयान ने जबाव प्रार्थनापत्र नही पेश करते हुए सीधे ही अपने बहस के कथन मे कहा गया की विवादित आराजी हमारे पूर्वजो के समय की खातेदारी की भूमि है। जिसे हम बदस्तुर कास्त करते चले आ रहे है। श्रीमान को न्यायालय के आदेश को निरस्त करने के आदेश है किन्तु तहसीलदार ने ऐसा कोई आदेश अपने प्रार्थनापत्र में शामिल नही किया गया है प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील अप्रार्थीयान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं राजस्थान भू–राजस्व 1956 की धारा 82 का अवलोकन करने पर पाया गया की तहसीलदार (भूमिधारी) के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मे बर्णित आराजी खसरा नं. 380, 381, 382,383, 473/710,509, 510, 510/747, 511, 512, 513/743 ,513/744, 515 ,515/748, कुल किता 14 कुल रकवा 2.42,है0 ग्राम खिलचीपुर बाडा तहसील टोडाभीम में स्थित है जो प्रस्तुत जमाबंदी सम्बत 2000 से 2019 में भूमि माफी मंदिर श्रीसीतारम जी के नाम दर्ज रिकार्ड है। जो बाद मे अंतिम जमाबंदी सम्बत 2069 से 2072 में अप्रार्थीयान के नाम दर्ज रिकार्ड हुई है यह भूमि किस आदेश से अप्रार्थीयान के नाम दर्ज रिकार्ड हुई थी इस सम्बंध में तहसीलदार द्वारा ना तो कोई आदेश की प्रति ना ही नामान्तकरण की प्रति पेश की गई है। मात्र साविक व वर्तमान जमाबंदी पेश की गई है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत Power to call for records and proceedings and reference to State Government or Board –The Settlement Commissioner or yhe Director of land Record(or a Callector) may call for and examine the record of any case decided or proceeding held by any revenue court or officer sub – ordinate to him for the purpose of satisfying himself as tothe regularity of the proceedings

And if he of theopinion that the proceding taken or order passed bysuch sub-

उपरोक्त धारा 82 के अवलोकन मात्र से स्पस्ष्ट है कि रेफरेन्स किसी निर्णय/आदेश/कार्यवाही के विरूद्व ही प्रस्तुत किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार टोडाभीम किसी भी निर्णय/आदेश/कार्यवाही को निरस्त करने का कोई अनुरोध नही किया गया है मात्र माफी मंदिर के नाम भूमि को बापिस करने का निवेदन किया गया है। अपितु राजस्व रिकार्ड से अप्रार्थीयान के नाम भूमि को बापिस साविक रिकार्ड अनुसार दर्ज करने का अनुरोध किया है। जिस आदेश से बादग्रस्त भूमि अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी में दर्ज की गई है जबतक उक्त आदेश का परिक्षण करके उसे निरस्त नही कराया जाता है तब तक राजस्व रिकार्ड के वर्तमान अंकनो को निरस्त करना विधिक कार्यवाही नही है क्योकि अधिनियम 1956 की धारा 82 राजस्व अभिलेख के विरूद्व रेफरेन्स करने का कोई प्रावधान नही है अपितु किसी आदेश/निर्णय/कार्यवाही के विरूद्व रेफरेन्स का प्रावधान है। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा हस्तगत प्रकरण में सिर्फ इतना ही निष्कर्षाकन किया गया है कि बादग्रस्त भूमि पूर्व में माफी मंदिर सीताराम जी के नाम थी किस आदेश से यह भूमि अप्रार्थीयान के नाम दर्ज किया है कोई आदेश प्रति शामिल नही है। ना ही कोई साक्ष्य है। तहसीलदार ने प्रकरण का विना परिक्षण करे ही यह प्रकरण अपूर्ण भेजा गया है। जिसे स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का अपूर्ण होने से अस्वीकार किया जाकर प्रकरण को इस निर्देश के सात प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि प्रकरण का पुनः परिक्षण करते हुए अधिनियम की धारा 82 का अवलोकन करते हुए वर्तमान जमाबंदी के अंकन मूलतः जिस आदेश से सृजित हुऐ है उक्त आदेश की वैधनिकता का परिक्षण कर यदि आवश्यक समझे तो अपनी स्पष्ट राय के साथ उक्त आदेश के विरूद्व नवीनतम रेफरेन्स प्रस्तुत किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति0 जिला कलक्टर
करौली